

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय—आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8117/2021 मोहम्मद शाहनवाज अंसारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2021 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को कन्सीडर कर आख्यात्मक आदेश के जरिए निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि याचिकार्थी वर्तमान में राउमावि, श्यामपुरा, प.स. बिजौलिया जिला-भीलवाड़ा में अध्यापक ग्रेड गा, लेवल-2 (विज्ञान-गणित), के पद पर कार्यरत है, जबकि याचिकार्थी की पत्नी वर्तमान में रा.मा.वि. उम्मेदगंज, गृह जिला-कोटा में अध्यापक के पद पर कार्यरत है। याचिकार्थी के कथनानुसार याचिकार्थी के बच्चे छोटे होने के कारण याचिकार्थी की पत्नी को उनकी देखभाल करने में तथा याचिकार्थी को भीलवाड़ा में अपने परिवार से दूर रहकर कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक परिस्थितियों एवं आधार पर भीलवाड़ा जिले से कोटा जिले के विद्यालयों में रिक्त पद पर पदस्थापन करने की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। राजस्थान शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम-1971 के अनुसार अध्यापक ग्रेड गा का पद जिला स्तर का पद है, जिसका सक्षम नियुक्ति अधिकारी संबंधित जिले का जिला शिक्षा अधिकारी है। रोस्टर का संधारण संबंधित नियुक्ति अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अध्यापक ग्रेड गा का पद जिला कैडर का होने के कारण जिला परिवर्तन कर स्थानान्तरण करने से विभाग का जिलास्तरीय रोस्टर प्रभावित होता है। अध्यापक ग्रेड गा के पद जिले में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर वर्गीकरण एवं जिलेवार ही विज्ञापित किये जाते हैं एवं चयनित अभ्यर्थियों को जिलेवार व वर्गीकरण ही नियुक्ति दी जाती है। अन्य जिले में स्थानान्तरण कर जिला परिवर्तन किये जाने से जिलों में उपलब्ध पदों के विरुद्ध पदस्थापन का अनुपात असंतुलित हो जाएगा जिससे अव्यवस्था होगी तथा शिक्षण व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जो कि छात्र हित एवं विभाग के अनुकूल नहीं है।

याचिकार्थी द्वारा पति-पत्नी दोनों के सांस्कृतिक संगम में कार्यरत होने पर दोनों को एक स्थान पर पदस्थापित किये जाने के आधार पर भीलवाडा जिले से कोटा जिले में स्थानान्तरण की सांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि शासन के पत्रांक प 17(4) शिक्षा-2 / 2009 पार्ट जयपुर, दिनांक 26.07.2019 के अनुसार तृतीय श्रेणी अध्यापक के स्थानान्तरण हेतु वर्तमान में शासन द्वारा पत्रांक प 5(5) प्राप्ति / 2018 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देश प्रभावी है, जिनमें राजकीय सेवा में कार्यरत पति-पत्नी के एक ही स्थान पर पदस्थापन के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश अंकित नहीं है।

कायरत पात-पत्ना के एक लोकतान पर विवरण के अनुसार उनकी जयपुर राजस्थान सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु-३) विभाग के परिपत्र क्रमांक: प.1(1)प.सु./अनु-३/2020 पार्ट जयपुर, दिनांक 18.05.2020 के बिन्दु संख्या ०३ में अंकित पति-पत्नी प्रकरण के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त परिपत्र राजस्थान लोक सेवा असाग, राजस्थान कर्मचारी घयन बोर्ड या अन्य भर्ता एजेंसी से चयनित अभ्यर्थियों को मण्डल/जिला आवंटन पश्चात काउंसिलिंग में वरेयता प्रदान करने के सम्बन्ध में है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा भी एस.वी.सिविल याचिका संख्या 11311/2015 श्वेता बनाम सरकार में यह निर्णय पारित किया है कि "the appointment can be claimed as a matter of right but posting can not be claimed as a matter of right because it is the prerogative of the employer to take work from the employee as per availability of post." इस प्रकार कार्मिक द्वारा इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण की मांग अधिकारस्वरूप नहीं की जा सकती। कार्मिक की पारिवारिक परिस्थितियों के आधार पर कार्मिक के पक्ष में स्थानान्तरण का अधिकार सृजित नहीं होता है। कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण हेतु वर्णित परिस्थितियों का विभागीय व्यवस्था एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में ही विचार किया जा सकता है। विभाग द्वारा प्रशासकीय व्यवस्था, राज्यहित, लोकहित व ऊब्र हितों को ध्यान में रख कर ही स्थानान्तरण किए जाते हैं। याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन में पारिवारिक परिस्थितियों एवं पत्नी के राजकीय सेवा में होने के आधार पर अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु की जा रही मांग तर्कसंगत एवं न्यायसंगत नहीं है। उक्तानुसार इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

PL

(काना राम)

आई.ए.एस.

दिनांक:- २५।०।१२२

क्रमांक:- शिविर-मा./संस्था/एफ-2/को.के./जय/13168/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

- संयुक्त विधि परामर्शी, कार्यालय हाजा
 - सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
 - जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जयपुर
 - जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, भीलवाडा
 - याचिकार्थी मोहम्मद शाहनबाज अंसारी अध्यापक ग्रेड गा, लेवल-2 (विज्ञान—गणित), राउमपार्क, श्यामपुरा पं.स. विजौलिया जिला—भीलवाडा (रजिस्टर)
 - रक्षित पत्रावली

संस्कृत निदेशक (प्रशिक्षण)

राजस्थान राज्य डिजिटल सेवा मांग अधिकारी क्लियरेंस राजस्थान श्रीकान्तेर दरभाष 0151-2522238 Email- dir.dse@rajasthan.gov.in